न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी,
जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
02/21	अपील	18.01.2021	26.04.22

1. लच्छीराम पुत्र भौरया जाति मीना निवासी रामगढमुराडा तहसील गंगापुर सिटी।

–अपीलाण्ट–

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार तलावडा तहसील गंगापुर सिटी।

–रेस्पोडेण्ट–

निर्णय दिनांकः. 26.04.22

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा निर्णय नायब तहसीलदार तलावडा तहसील, गंगापुर सिटी, उनवान सरकार बनाम लच्छीराम मुकदमा नंबर–615/14 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खेडा बाढ रामगढ की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 एल0आर0एक्ट0 का नोटिस अपीलार्थी को जारी किया गया, जिसमें खसरा नम्बर 2 रकबा 0.07 हेक्टर वाके ग्राम रामगढ मुराडा पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा करना अंकित किया तथा उक्त नोटिस के आधार पर कायम मुकदमें में दिनांक 13.10.2014 को न्यायालय नायब तहसीलदार, तलावडा द्वारा निर्णय पारित कर अपीलार्थी को 60 दिन के सिविल कारावास एंव 22/– रूपयें की शास्ति से दण्डित कर अपीलार्थी को भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय ए0डी0एम0, सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की गई। संबंधित अपील मे न्यायालय ए0डी0एम0, सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 27.05.2015 को निर्णय पारित कर दिया गया, जिसमें बेदखली के आदेश को यथावत रखते हुये सिविल कारावास के आदेश को अपीलार्थी को मौके से कब्जे की जांच करवाई जाकर कब्जा अपीलार्थी नही पाये जाने की स्थिति में निरस्त करने के आदेश पारित कर पत्रावली नायब तहसीलदार तलावडा को रिमाण्ड कर दी गई। जिस पर दिनांक 06.10.2015 को नायब तहसीलदार, तलावडा के यहां पत्रावली पुनः दर्ज की जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये। जबकि नायब तहसीलदार, तलावडा ने न्यायालय ए0डी0एम0 सवाई माधोपुर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (रा0)

द्वारा पारित आदेश की पालना में अपीलार्थी को कभी सूचना नही दी गई। तथा अपीलार्थी को बिना सुने या सूचना दिये दिनांक 05.11.2015 को नायब तहसीलदार तलावडा द्वारा पुनः अपीलार्थी के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिये। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक अवैधानिक कार्यवाही होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायिक सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है। जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पारित आदेश दिनांक 06.10.2015 की पालना में अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नही किया गया। तथा न ही किसी अन्य प्रकार से प्रार्थी को सूचित किया गया।

3. अपील मे अपीलार्थी द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि उसको अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नही दिया गया। मौके पर न्यायालय ए0डी0एम0 सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 27.05.2015 के पूर्व से ही प्रार्थी का कोई कब्जा नही है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक रूप से जांच नही करवायी गई। पटवारी हल्का द्वारा आदेश पेश किये जाने का जो अंकन दिनांक 05.11.2015 की आदेशिका में दर्ज किया गया है, उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके की वस्तुस्थिति की जांच किये बिना ही रिपोर्ट की गई है। मौके पर पटवारी हल्का न्यायालय ए0डी0एम0 सवाई माधोपुर के निर्णय के उपरान्त कभी नही गया। पटवारी हल्का द्वारा की गयी गलत रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को बिना सुने ही दिनांक 05.11.2015 को निर्णय पारित कर प्रार्थी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये हैं। जो निरस्त होने योग्य है।

4. अपीलार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.11.2015 की अपीलार्थी को कभी कोई जानकारी नही रही, परन्तु अचानक दिनांक 31.12.202 को दो पुलिस वाले प्रार्थी के घर गिरफ्तारी वारंट लेकर गये, उस समय अपीलार्थी बाहर गया हुआ था, उक्त पुलिस वाले अपीलार्थी के लडके को यह कहकर आये कि तुम्हारे पिताजी लच्छीराम के नायब तहसीलदार तलावडा के यहां से गिफ्तारी वारंट है इसलिये उन्हें तलावडा भेज देना। वरना हम पकड कर ले जाएगें। इस पर अपीलार्थी के पुत्र ने अपीलार्थी को सूचना दी तथा दिनांक 01.01.2021 को अपीलार्थी के पुत्र ने उपतहसील तलावडा में जाकर प्रकरण के बारे में जानकारी की तथा नकल के लिये आवेदन किया, नकल दिनांक 01.01.2021 को ही मिलने से उसका अवलोकन करने पर सम्पूर्ण प्रकरण में की गयी कार्यवाही के बारे में जानकारी हुई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2015 को पारित निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 01.01.2021 को हुई, जिसकी नकल दिनांक 01.01.2021 को मिलने से अपील अन्दर मियाद पेश है।

अपील मे अपीलार्थी ने निवेदन किया है कि अपील को स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 05.11.2015 उनवानी मुकदमा सरकार बनाम लच्छीराम मुकदमा नं0 615/14 निरस्त फरमाया जावें।

5. अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलब की गई। रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (राज.)

6. बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये कहा कि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नही आता, अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

7. हमने अपील पत्रावली एवं मिसल अधीनस्थ न्यायालय का अद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस पर भी मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के मुताबिक दिनांक 05.11.2015 को भू0अ0नि0 की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर अतिक्रमी द्वारा कब्जा नही हटाने के कारण न्यायालय ए0डी0एम0 सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 27.05.2015 की पालना में गिरफ्तारी वारण्ट जारी किए गए। भू0अ0नि0 ने दिनांक 05.11.2015 को तहसीलदार, तलाबडा को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें पुनः मौका देखा जाने तथा अतिक्रमी द्वारा कब्जा नही हटाने का उल्लेख है। जबकि इसके साथ न कोई मौका रिपोर्ट है और न ही यह उल्लेख है कि किस–किस की उपस्थिति मे मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की गई है। साथ ही मौका देखने हेतु अतिक्रमी को सूचित करने का प्रमाण भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे कही नही है। साथ ही अधीनस्थ न्यायायल की पत्रावली के पेज सं 16 पर तहसीलदार तलाबडा को संबोधित करते हुए एक और प्रार्थना पत्र संलग्न है जिसमें दिनांक का उल्लेख नही है। उसमें अतिक्रमी द्वारा मौके से कब्जा हटा लिया जाने का उल्लेख है। भू0अ0नि0 द्वारा पेश उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों मे परस्पर विरोधाभास प्रतीत होता है।

8. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 5 मियाद अधिनियम को हम न्याय हित में स्वीकार करते है। यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी ने भूमि ख0नं0 02 रकवा 0.07 हैक्टर ग्राम रामगढ मुराडा पर कृषि वर्ष संवत् 2071 से पूर्व का अतिक्रमण होने की पटवारी रिपोर्ट पर अदालत मातहत ने अपीलार्थी को 60 दिवस के सिविल कारावास एवं लगान 0.44 की 50 गुना शास्ति 22/–रू. आरोपित करने के दण्ड से दंडित किया है। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 91 का सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। प्रकरण में न्यायालय ए0डी0एम0 सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 27.05.2015 की समुचित पालना नही की गई है। आदेश दिनांक 27.05.2015 की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को मौका देखने हेतु नियमानुसार लिखित में सूचित किया जाना चाहिए था। तथा सूचना देने के बाद भू–अभिलेख निरीक्षक/ पटवारी द्वारा अतिक्रमी व अन्य स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी जो हस्तगत प्रकरण मे नही किया गया है।

आदेश

नायब तहसीलदार, तलाबडा को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक 27.05.2015 की पालना मे अपीलार्थी को सूचित करते हुए। अपीलार्थी की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0माध0)

उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार करे। यदि अतिक्रमण हटा लिया गया हो तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सिविल कारावास की हद तक निरस्त समझा जावें अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्वतः जीवित रहेगा।

निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल अदालत मातहत संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 26.04.22 को सरे इजलास सुनाया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी